भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2407

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

स्टार्ट-अप में शामिल महिलाएं

2407. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास तकनीकी स्टार्ट-अप में शामिल महिलाओं की भागीदारी के संबंध में आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा के लिए तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निधियों के आबंटन सहित स्टार्ट-अप में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने और समर्थन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा के लिए तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): इस मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप्स के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

स्टार्टअप संस्थाओं के संबंध में डीपीआईआईटी द्वारा प्रदान की गई सूचना निम्नानुसार है:

डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत संस्थाओं को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता दी गई है। सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) दिनांक 19 फरवरी 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, 31 अक्टूबर 2023 की स्थिति को, कुल 1,14,902 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें से 54,569 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है। विशेष रूप से, ओडिशा राज्य के लिए, कुल 2,045 डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिनमें से 1,020 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है।

31 अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार कम से कम एक महिला निदेशक के साथ डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की क्षेत्रवार संख्या अनुलग्नक-II के रूप में रखी गई है।

विगत पांच वर्षों अर्थात 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक के साथ डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) -वार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

विगत पांच वर्षों अर्थात 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के दौरान ओडिशा राज्य के लिए कम से कम एक महिला निदेशक के साथ डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की जिला-वार संख्या अनुलग्नक-III में दी गई है।

सरकार महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। प्रमुख उपलब्धियों सहित इसका ब्यौरा अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 18.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2407 के उतर में संदर्भित अनुलग्नक

31 अक्टूबर 2023 की स्थिति को कम से कम एक महिला निदेशक के साथ डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार है:

क्षेत्र	**कम से कम एक महिला निदेशक के साथ डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या**
आईटी सेवाएं	6,300
हेल्थकेयर और लाइफसाइंसेज	5,654
शिक्षा	3,545
खाद्य और पेय पदार्थ	3,075
कृषि	2,936
व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएं	2,881
निर्माण	2,414
प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	1,648
वित्त प्रौद्योगिकी	1,552
नवीकरणीय ऊर्जा	1,376
मानव संसाधन	1,329
खुदरा	1,223
अन्य	1,196
हरित प्रौद्योगिकी	1,177
विपणन	1,088
मोटर वाहन	1,071
वस्त्र और परिधान	1,015
फ़ैशन	1,003
एआई	864
एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर	864
यात्रा और पर्यटन	812
मीडिया और मनोरंजन	805
गैर-नवीकरणीय ऊर्जा	799
परिवहन और भंडारण	717
इंटरनेट सामग्री	698
सुरक्षा समाधान	575
रसायन	566
दूरसंचार और नेटवर्किंग	523
एयरोनॉटिक्स एयरोस्पेस एंड डिफेंस	497
रियल एस्टेट	460

क्षेत्र	**कम से कम एक महिला निदेशक के साथ डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या**
अपशिष्ट प्रबंधन	421
घरेलू सेवाएं	407
सामाजिक प्रभाव	402
अन्य विशेष खुदरा विक्रेता	400
विश्लेषिकी	363
विज्ञापन	357
वास्तुकला आंतरिक डिजाइन	355
डिज़ाइन	352
सामाजिक नेटवर्क	298
लॉजिस्टिकस	264
खेल-कूद	243
कला और फोटोग्राफी	228
रोबोटिक्स	225
इवेंट्स	217
एआर वीआर (संवर्धित + आभासी वास्तविकता)	211
जैव प्रौद्योगिकी	198
सुरक्षा	181
पालतू जानवर और जानवर	176
खिलौने और खेल	163
इंडिक भाषा स्टार्टअप	145
कंप्यूटर विजन	109
नैनोटेक्नॉलाजी	84
एनिमेशन	56
डेटिंग मेट्रीमोनियल	33
हवाई अड्डे का संचालन	12
यात्री अनुभव	5
निर्दिष्ट नहीं	1
कुल योग	**54,569**

अनुलग्नक-II

दिनांक 18.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2407 के उतर में संदर्भित अनुलग्नक

विगत पांच वर्षों अर्थात 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक के साथ डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) -वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	4	2	5	4
आंध्र प्रदेश	73	81	95	131	173
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	3	5
असम	24	26	45	76	121
बिहार	46	51	99	177	254
चंडीगढ़	7	19	26	34	36
छत्तीसगढ़	49	59	51	78	89
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	1	3	4	7
दिल्ली	501	604	792	1,147	1,269
गोवा	22	20	25	39	48
गुजरात	199	272	348	766	933
हरियाणा	207	322	351	515	672
हिमाचल प्रदेश	5	12	12	23	55
जम्मू और कश्मीर	11	11	21	38	70
झारखंड	25	33	81	83	107
कर्नाटक	465	728	703	1,031	1,231
केरल	94	241	236	388	427
लद्दाख	0	0	1	0	0
लक्षद्वीप	0	0	1	0	0
मध्य प्रदेश	111	131	162	253	417
महाराष्ट्र	745	987	1,214	1,852	2,383
मणिपुर	1	1	4	19	13

मेघालय	1	4	0	3	5
मिजोरम	0	0	1	1	3
नागालैंड	1	1	3	4	3
ओडिशा	71	83	116	183	227
पुद्दुचेरी	4	6	3	7	11
पंजाब	30	47	66	124	147
राजस्थान	97	175	189	289	455
सिक्किम	0	0	1	0	2
तमिलनाडु	189	277	345	568	908
तेलंगाना	200	275	362	484	717
त्रिपुरा	0	4	6	4	13
उत्तर प्रदेश	315	394	610	1,014	1,293
उत्तराखंड	25	53	52	75	121
पश्चिम बंगाल	124	134	182	337	518
कुल योग	**3,643**	**5,056**	**6,208**	**9,755**	**12,737**

अनुलग्नक-III

दिनांक 18.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2407 के उतर में संदर्भित अनुलग्नक

विगत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य के लिए एक-महिला निदेशक स्टार्टअप की जिला-वार संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

ओडिशा	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
अनुगुल	0	0	1	4	7
बलांगीर	0	0	1	2	1
बालेश्वर	2	1	5	11	7
बारगढ़	0	2	1	0	2
भद्रक	0	0	1	2	1
बौध	0	0	0	1	1
कटक	8	11	11	18	26
ढेंकनाल	1	0	1	1	1
गजपति	1	0	1	1	1
गंजम	4	4	6	10	13
जगतसिंहपुर	0	1	0	1	1
जाजापुर	2	0	1	3	5
झारसुगुड़ा	0	1	0	0	3
कालाहांडी	1	1	1	5	2
कंधमाल	0	0	0	1	1
केंद्रपाड़ा	0	1	2	2	2
केंदुझर	0	0	2	3	3
खोरधा	46	52	67	98	124
कोरापुट	0	1	0	0	2
मलकानगिरी	0	0	0	0	0
मयूरभंज	1	1	1	1	2
नबरंगपुर	0	0	0	0	1
नयागढ़	0	0	0	0	1
नूआपाड़ा	0	0	1	0	0
पूरी	1	1	3	5	6
रायगढ़	0	0	0	1	0
संबलपुर	0	3	3	5	6
सोनपुर	0	0	1	0	0
सुंदरगढ़	4	3	6	8	8
कुल योग	**71**	**83**	**116**	**183**	**227**

अनुलग्नक-IV

दिनांक 18.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2407 के उतर में संदर्भित अनुलग्नक

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए इक्विटी और ऋण दोनों के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, सिडबी द्वारा संचालित फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स स्कीम में फंड का 10% (1000 करोड़ रुपये) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित है। उक्त योजना के तहत, 30 अप्रैल 2023 तक, एफएफएस के तहत 11 महिलाओं के नेतृत्व वाले एआईएफ का समर्थन किया गया है और लगभग 110 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

(ii) महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए एक अनूठा क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो अपनी स्टार्टअप यात्रा में महत्वाकांक्षी और स्थापित महिला उद्यमियों दोनों की पहचान और समर्थन करता है। कार्यशालाएं प्रौद्योगिकी, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए खुली हैं। कार्यशालाओं ने उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। विंग कार्यशालाओं ने चुनौतियों पर काबू पाने में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने और भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यापार मॉडल से सीखी गई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया है। 9 राज्यों में कुल 24 कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिससे 1,300 से अधिक महिला उद्यमी लाभान्वित हुईं।

(iii) महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इनक्यूबेशन कार्यक्रम जोन स्टार्टअप्स के सहयोग से आयोजित किए गए थे ताकि 3 महीने के लिए प्रो-बोनो त्वरण समर्थन के साथ 20 महिलाओं के नेतृत्व वाले तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन किया जा सके।

(iv) स्टार्टअप इंडिया हब: स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पृष्ठ में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों को शामिल किया गया है।

(v) असेंड स्टार्टअप वर्कशॉप सीरीज और वुमन फॉर स्टार्टअप्स वर्कशॉप्स: सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों, आकांक्षी उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला-

असेंड (त्वरित स्टार्टअप क्षमता एवं उद्‌यमशीलता अभियान) का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी राज्यों में महिला उद्‌यमियों पर विशेष ध्यान देने के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। कार्यशालाओं का आयोजन मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के महीने के दौरान किया गया था। कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप, महत्वाकांक्षी उद्‌यमियों, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे 11,000 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों की भागीदारी देखी गई।

(vi) महिला उद्‌यमिता मंच (डब्ल्यूईपी): सरकार ने महिला उद्‌यमी पारिस्थितिकी तंत्र में सूचना विषमता को दूर करने के उद्‌देश्य से 2018 में एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में डब्ल्यूईपी लॉन्च किया। सभी मौजूदा पहलों को प्रदर्शित करके और डोमेन ज्ञान प्रदान करके यह भावी और वर्तमान महिला उद्‌यमियों दोनों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करता है।

(vii) सुपरस्ट्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को उद्‌यमी बनने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि के साथ, महिलाओं पर सुपरस्ट्री वीडियो पॉडकास्ट श्रृंखला को भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में लॉन्च किया गया है। महिलाओं से नवाचारों से संबंधित जागरूकता फैलाने और देश में महिला उद्‌यमिता को और मजबूत करने के लिए 8 से अधिक पॉडकास्ट जारी किए गए हैं।

(viii) सरकार द्‌वारा आयोजित अपने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से, सरकार मौजूदा योजनाओं के बारे में भी जागरूकता पैदा करती है जो महिला उद्‌यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यमियों का समर्थन करती हैं।

(ix) बीआईआरएसी के 75 बायोइन्क्यूबेशन केंद्रों (बायोनेस्ट और ईयूवीए योजनाओं के तहत) में से 5 महिला उद्‌यमियों के लिए समर्पित केंद्र हैं जो विशेष रूप से महिला छात्रों / वैज्ञानिकों/उद्‌यमियों को इनक्यूबेशन स्थान और सलाह (व्यवसाय, आईपी, कानूनी) प्रदान करते हैं और साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का समर्थन करते हैं। विभिन्न बीआईआरएसी योजनाओं के तहत 200 से अधिक महिलाओं के नेतृत्व वाली परियोजनाओं को समर्थन दिया गया है।

(x) टीआईई-दिल्ली एनसीआर के साथ भागीदारी में बीआईआरएसी की डब्ल्यूआईईआर अवार्ड फैलोशिप (उद्यमिता अनुसंधान में महिलाएं): इस पुरस्कार कार्यक्रम के तहत, समाज के बड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले विचारों पर काम करने वाली महिला उद्यमियों को सलाह, हैंडहोल्डिंग, गहन त्वरक कार्यक्रम के माध्यम से अवसर सहित अन्य लाभों के साथ 5 लाख रुपये से सम्मानित किया जाता है। 60 महिला संस्थापकों को फैलोशिप के चार संस्करणों से सम्मानित किया गया है।

(xi) समृद्धि योजना के तहत एमईआईटीवाई में जोन स्टार्टअप नामक एक समर्पित महिला नेतृत्व वाले एक्सेलेरेटर हैं, जो 5 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के समूह का समर्थन करते हैं।

(xii) एमईआईटीवाई की प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन और उद्यमियों का विकास (टीआईडीई) योजना के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उनके प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि युवा उद्यमियों को उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक दोहन के लिए प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनियां बनाने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत, 34 उद्यमी महिलाएं हैं।

(xiii) स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों के समर्थन पर राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में अच्छी प्रथाओं की पहचान करने का एक अभ्यास है। मूल्यांकन में नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन को मापने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान और प्रत्येक राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन शामिल हैं। विशेष कार्य बिंदु पर भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों की सक्रिय सहभागिता और रिपोर्टिंग देखी गई है।

(xiv) देश में नवाचार, समावेशिता और विविधता और उद्यमशीलता की गहराई, गुणवत्ता और प्रसार की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार ('एनएसए') की स्थापना की। एनएसए के विजेता बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, मैसूरु, भोपाल, गुरुग्राम, कोच्चि, लखनऊ, मडगांव, आदि से आए हैं। एनएसए के सभी चार संस्करणों (2020, 2021, 2022 और 2023) में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए एक विशेष श्रेणी और पुरस्कार शामिल है। एनएसए 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में स्टार्टअप को मान्यता देता है और बढ़ावा देता है

(xv) एमएसएमई मंत्रालय ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देश में महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का समर्थन करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में कार्यान्वित कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है-

(क) उद्यम पंजीकरण पोर्टल के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान 2022-23 के दौरान चलाए गए हैं और विशेष अभियानों के दौरान 2 लाख से अधिक महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(ग) महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय कई कार्यक्रमों को भी लागू करता है जैसे कि:

- कयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना', जो कयर क्षेत्र में लगी महिला कारीगरों के कौशल विकास के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

- मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को भी कार्यान्वित करता है, जो एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत, महिलाओं को गैर-विशेष श्रेणी (25% तक) की तुलना में उच्च सब्सिडी (35% तक) प्रदान की जाती है।

- प्रापण और विपणन सहायता योजना के तहत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की भागीदारी को अन्य उद्यमियों के लिए 80% की तुलना में 100% सब्सिडी दी जाती है।

******